अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	23,559.00	25,566.60	27,634.57	30,929.09	34,025.69
	• कर-भिन्न राजस्व	4,673.15	4,975.06	4,613.12	4,752.48	6,196.09
	योग	**28,232.15**	**30,541.66**	**32,247.69**	**35,681.57**	**40,221.78**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा[1]	3,062.13	3,343.24	3,548.09	5,496.22	6,597.47
	• सहायता अनुदान	2,339.25	4,127.18	5,002.88	6,378.76	5,677.57
	योग	**5,401.38**	**7,470.42**	**8,550.97**	**11,874.98**	**12,275.04**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**33,633.53**	**38,012.08**	**40,798.66**	**47,556.55**	**52,496.82**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**84**	**80**	**79**	**75**	**77**

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 40,221.78 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 77 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों का शेष 23 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2012-13 (84 प्रतिशत) से 2015-16 (75 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। तत्पश्चात वर्ष 2016-17 हेतु यह 77 प्रतिशत तक बढ़ गया।

[1] विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 14 देखें-वर्ष 2016-17 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-भाग 'क' के अंतर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

1.1.2 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.1.2** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 के वास्तविकों पर 2016-17 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)	16,450.00	15,376.58	19,288.61	16,774.33	19,930.00	18,993.25	22,821.40	21,060.23	28,750.00	23,488.41	11.53
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	3,236.48	4,000.00	3,697.35	4,350.00	3,470.45	4,567.50	4,371.08	5,251.58	4,613.13	5.54
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,000.00	3,326.25	3,850.00	3,202.48	3,950.00	3,108.70	3,600.00	3,191.21	3,700.00	3,282.64	2.87
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	450.00	470.76	520.00	497.45	650.00	527.07	600.00	554.25	660.00	594.59	7.28
5.	वाहनों पर कर	750.00	887.29	850.00	1,094.86	1,175.00	1,191.50	1,316.00	1,400.38	1,447.60	1,583.06	13.05
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	160.00	191.96	201.40	219.20	232.25	239.74	240.00	256.66	269.88	275.69	7.41
7.	भू-राजस्व	15.28	12.98	19.33	12.42	13.50	15.28	16.50	14.97	18.15	16.08	7.41
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	48.00	56.70	55.00	68.51	74.00	88.58	88.00	80.31	102.30	172.09	114.28
	योग	**23,873.28**	**23,559.00**	**28,784.34**	**25,566.60**	**30,374.75**	**27,634.57**	**33,249.40**	**30,929.09**	**40,199.51**	**34,025.69**	**10.01**

यह बताया जाता है कि राजस्व कर 2012-13 में ₹ 23,559 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 34,025.69 करोड़ हो गया। वर्षों पर कर राजस्व की वृद्धि लगभग आठ से 10 प्रतिशत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति दर्शाती है।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किएः

- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर:** गत पांच वर्षों के दौरान वैट 2012-13 में ₹ 15,376.58 करोड़ के विरूद्ध 2016-17 में ₹ 23,488.41 करोड़ तक बढ़ (52.75 प्रतिशत) गया है तथा वैट/सी.एस.टी. की उच्चतर प्राप्तियों के कारण था।

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** गत पांच वर्षों के दौरान 2012-13 में ₹ 3,236.48 करोड़ के विरूद्ध 2016-17 में ₹ 4,613.13 करोड़ तक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि देशी सिप्रिट तथा अन्य प्राप्तियों की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **वाहनों पर कर:** गत पांच वर्षों के दौरान 2012-13 में ₹ 887.29 करोड़ के विरूद्ध 2016-17 में ₹ 1,583.06 करोड़ तक वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

1.1.3 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.1.3** में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 के वास्तविकों पर 2016-17 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,080.04	1,058.21[2]	1,090.12	1,090.71	1,142.51	933.59	1,281.41	1,087.49	2,375.50	2,309.79	112.40
2.	सड़क परिवहन	1,150.00	999.87	1,315.00	1,097.54	1,310.00	1,235.31	1,450.00	1,254.55	1,865.00	1,265.13	0.84
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	386.41	385.43	438.14	318.94	527.83	564.48	596.77	637.41	1,109.73	640.48	0.48
4.	शहरी विकास	1,150.00	990.70	1,200.00	1,104.54	1220.00	861.11	1300.00	421.95	750.00	599.00	41.96
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	225.00	75.49	150.00	79.10	500.00	43.46	1,000.00	271.61	1,040.00	496.95	82.96
6.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	223.39	403.07	246.17	510.65	432.70	472.18	461.25	466.30	464.83	438.45	(-) 5.97
7.	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	194.56	139.12	213.68	95.04	156.50	129.27	156.75	110.48	164.12	113.43	2.67
8.	पुलिस	83.22	63.73	158.20	80.38	160.02	67.82	160.00	151.70	154.23	109.11	(-) 28.07
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	156.00	125.86	136.80	144.35	167.39	95.73	194.55	115.64	116.51	105.66	(-) 8.64
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	45.00	41.36	45.00	37.37	40.00	44.29	40.00	51.90	41.00	55.38	6.70
11.	विविध सामान्य सेवाएं[3]	1.30	312.30	5.89	268.37	30.00	20.38	21.23	41.39	31.71	31.54	(-) 23.80
12.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	109.63	78.01	163.48	148.07	179.61	145.50	223.43	142.06	195.81	31.17	(-) 78.06
योग		**4,804.55**	**4,673.15**	**5,162.48**	**4,975.06**	**5,866.56**	**4,613.12**	**6,885.39**	**4,752.48**	**8,308.44**	**6,196.09**	**30.38**

[2] सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के बुक समायोजन में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

[3] अस्वामिक जमा, राज्य लाटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

वर्ष 2015-16 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2016-17 में वास्तविक प्राप्तियों में 30.38 प्रतिशत की वृद्धि है। शहरी विकास, सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का 38 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

- **शहरी विकासः** गत पांच वर्षों में शहरी विकास के राजस्व में ₹ 990.70 करोड़ से ₹ 599.00 करोड़ तक भारी गिरावट हुई है।
- **ब्याज प्राप्तियां:** 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (112.40 प्रतिशत) विद्युत वितरण कंपनियों को ऋणों पर ब्याज की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य:** 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों में कमी (78.06 प्रतिशत) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगः** 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (82.96 प्रतिशत) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अंतर्गत खनिज रियायत फीस, किरायों, अधिकार शुल्कों तथा अन्य प्रभारों की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (अक्तूबर 2017)।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2017 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 12,189.17 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 3,071.25 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि नीचे वर्णित है।

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया राशि	31 मार्च 2017 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	**बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट**	9,501.18	2,553.67	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,045.35 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, तथा ₹ 23.17 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 2.24 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 106.31 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 628.60 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 417.58 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 752.10 करोड़ अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 321.82 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 115.66 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 75.53 करोड़ था। ₹ 2.20 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 6,010.62 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर थी।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2017 को बकाया राशि	31 मार्च 2017 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
2.	**राज्य उत्पाद शुल्क**	204.47	94.81	₹ 18.20 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 0.49 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 51.24 करोड़ की वसूली क्रमशः अन्तर्राज्य तथा अन्तर्जिले बकायों के कारण थी। ₹ 0.05 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। शेष ₹ 134.49 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।
3.	**बिजली पर कर एवं शुल्क**	212.69	84.14	₹ 211.69 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ एक करोड़ सरकारी परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित थे।
4.	**यात्री एवं माल पर कर**	163.56	64.68	₹ 50.36 करोड़ के बकाया विभाग द्वारा वसूली न करने के कारण लंबित थे तथा अन्तर्राज्य बकाया ₹ 5.17 करोड़ था। ₹ 108.03 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
5.	**स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)**	1,863.96	195.43	₹ 1,801.71 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 62.25 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थी।
6.	**पुलिस**	108.43	8.19	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 29 लाख भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 100.76 करोड़ चुनाव डयूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
7.	**वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां**	11.00	8.17	₹ 2.76 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 8.22 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
8.	**अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग**	123.88	62.16	₹ 63.65 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.54 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 59.67 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	योग	**12,189.17**	**3,071.25**	

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर तथा यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है।

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	आरंभिक शेष	2016-17 के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	2016-17 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 4 से 5)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2,29,719	2,28,741	4,58,460	2,03,533	2,54,927	44
माल एवं यात्रियों पर कर	2,319	612	2,931	2,048	883	70

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के मामले में वृद्धि हुई है तथा माल एवं यात्रियों पर कर के मामले में कमी हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया है कि बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट तथा माल एवं यात्रियों पर कर के संबंध में निपटान की प्रतिशतता क्रमश: 44 तथा 70 थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, **तालिका 1.4** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2016 को लम्बित मामले	2016-17 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2017 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	**बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट**	100	3,833	3,933	3,799	69.73	134
2	**राज्य उत्पाद शुल्क**	887	8,623	9,510	8,921	6.72	589
3	**माल एवं यात्रियों पर कर**	1,453	9,640	11,093	8,291	12.55	2,802
योग		**2,440**	**22,096**	**24,536**	**21,011**	**89.00**	**3,525**

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर माल एवं यात्रियों पर कर तथा बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के मामले में वृद्धि हुई है तथा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में कमी हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2016-17 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2016-17 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**वर्ष के आरंभ में बकाया दावे**	709	250.55	69	7.99
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त दावे**	1,841	516.27	622	41.89
3.	**वर्ष के दौरान किए गए/ समायोजित/अस्वीकृत रिफंड**	1,971	651.52	650	42.72
4.	**वर्ष के अंत में बकाया शेष**	579	115.30	41	7.16

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क दोनों में कम हुई है।

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 268 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 244 यूनिटों (91 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि **तालिका 1.6** में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.6: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टॉम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	22	21
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	82	70
यात्री एवं माल कर	22	11
योग	**268**	**244**

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। यह अवलोकित किया गया है कि वर्ष के दौरान वैट/बिक्री कर की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2016 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2017 के अन्त में 2,302 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 5,869.33 करोड़ से आवेष्टित 6,430 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ नीचे **तालिका 1.7** में उल्लिखित है।

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,966	2,143	2,302
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	4,911	5,389	6,430
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	3,489.99	5,802.87	5,869.33

1.7.1 30 जून 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण **तालिका 1.7.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री कर/वैट	327	2,680	5,208.90
		राज्य उत्पाद शुल्क	141	242	144.91
		माल एवं यात्रियों पर कर	225	400	35.88
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	21	23	11.62
2.	**राजस्व**	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	995	2302	360.77
		भू-राजस्व	128	164	0.60
3.	**परिवहन**	वाहनों पर कर	364	490	25.29
4.	**विद्युत**	बिजली पर कर एवं शुल्क	4	5	5.84
5.	**खदान एवं भू-विज्ञान**	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	97	124	75.52
योग			**2,302**	**6,430**	**5,869.33**

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बनता में वृद्धि इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभागों के उत्तरों की प्रभावी मॉनीटरिंग की प्रणाली स्थापित कर सकती है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण नीचे **तालिका 1.7.2** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	**आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)**	6	168	568.76
2	**आबकारी एवं कराधान विभाग (माल एवं यात्रियों पर कर)**	2	3	0.03
3	**राजस्व विभाग**	3	58	1.27
4	**खदान एवं भू-विज्ञान विभाग**	1	11	0.39
	योग	**12**	**240**	**570.45**

वर्ष 2016-17 के दौरान 1,295 अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 570.45 करोड़ के धन मूल्य वाले 240 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2015-16 के दौरान 2,203 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 166.93 करोड़ के धन मूल्य वाले 674 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था। इसने 2015-16 में निपटान किए गए अनुच्छेदों (31 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान निपटान किए गए अनुच्छेदों की प्रतिशतता में कमी (19 प्रतिशत) दर्शाई।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 1,317.78 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 8,178 कर-निर्धारण फाईलों में से 455 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण नीचे **तालिका 1.7.3** में दिया गया है।

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {(डी.ई.टी.सी.) (एस.टी.)} गुरूग्राम (पूर्व)	2016-17	78	335.32
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरूग्राम (पश्चिम)	2016-17	315	881.97
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा	2016-17	62	100.49
	योग	**455**	**1,317.78**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरूग्राम (पूर्व एवं पश्चिम) तथा सिरसा से संबंधित ₹ 1,317.78 करोड़ की राशि के 455 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए। तथापि, कृ.का.टि. विलंबित की जा रही थी। 31 मार्च 2013, 2015 तथा 2016 को समाप्त वर्ष हेतु हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 67 अनुच्छेद[4] (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) मार्च 2014 तथा फरवरी 2017 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2013, 2015 तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों (आबकारी एवं कराधान, परिवहन, राजस्व तथा खदान एवं भू-विज्ञान) से 51 अनुच्छेदों के संबंध में कृ.का.टि., जैसा **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (अक्तूबर 2017)।

[4] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13: 18 अनुच्छेद; ले.प्र. 2014-15: 24 अनुच्छेद तथा ले.प्र. 2015-16: 25 अनुच्छेद।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 44 चयनित अनुच्छेदों[5] पर चर्चा की तथा 44 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2015-16 की उनकी 73वीं तथा 74वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी है। लोक लेखा समिति की 22वीं से 74वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2011-12 तथा वर्ष 2013-14 की अवधि से संबंधित कुल 963 सिफारिशें, जैसा कि **अनुलग्नक-II** एवं **अनुलग्नक-III** में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी। तथापि, लोक लेखा समिति ने सिफारिश की कि विभाग, वसूली कक्ष का सृजन करके समयबद्ध ढंग से राजस्व के बकाये वसूल करने के लिए प्रभावी यंत्रावली का सूत्रपात करे।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में राजस्व शीर्ष-0039 के अंतर्गत राज्य उत्पाद शुल्क पर करों से संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन तथा वर्ष 2007-08 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क) को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2017 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका 1.8.1** में उल्लिखित हैं।

[5] ले.प्र. 2011-12: 20 अनुच्छेद तथा ले.प्र. 2013-14: 24 अनुच्छेद।

तालिका 1.8.1: *आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)* में निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य (₹ करोड़ में)
2007-08	106	177	128.06	21	39	15.33	16	28	18.23	111	188	125.16
2008-09	111	188	125.16	34	65	20.92	25	45	74.50	120	208	71.58
2009-10	120	208	71.58	36	55	11.04	40	92	23.70	116	171	58.92
2010-11	116	171	58.92	19	60	29.07	30	53	17.48	105	178	70.51
2011-12	105	178	70.51	14	33	4.89	13	33	20.30	106	178	55.10
2012-13	106	178	55.10	27	80	20.87	34	87	13.28	99	171	62.69
2013-14	99	171	62.69	22	46	10.64	5	16	0.86	116	201	72.47
2014-15	116	201	72.47	35	93	84.78	24	49	22.58	127	245	134.67
2015-16	127	245	134.67	25	57	22.10	6	21	2.75	146	281	154.02
2016-17	146	281	154.02	22	50	39.06	23	79	31.43	145	252	161.65

31 मार्च 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2007-08 में 106 से 2016-17 में 145 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2007-08 में 177 से 2016-17 में 252 तक बढ़ गई। सरकार को पुराने लंबित अनुच्छेदों के समायोजन के लिए लेखापरीक्षा समिति की अधिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति **तालिका 1.8.2** में दी गई है:

तालिका 1.8.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में)
2006-07	02	0.48	02	0.48	0.01	0.16
2007-08	02	1.23	02	1.23	0.03	0.19
2008-09	04	2.35	04	2.35	0.09	0.18
2009-10	02	5.65	02	5.65	0.10	1.93
2010-11	01 (नि.ले.प.)	21.60	01 (नि.ले.प.)	21.60	2.64	2.83
2011-12	03	4.75	03	4.75	0.05	0.19
2012-13	03	12.15	03	12.15	0.44	1.10
2013-14	02	24.87	02	24.87	0.37	0.37
2014-15	02	20.44	02	20.44	5.07	5.07
2015-16	01 (नि.ले.प.)	60.56	01 (नि.ले.प.)	60.56	11.58	11.58
योग	**20 02 (नि.ले.प.)**	**71.92 82.16**	**20 02 (नि.ले.प.)**	**71.92 82.16**	**6.16 14.22**	**9.19 14.41**
कुल योग	**22**	**154.08**	**22**	**154.08**	**20.38**	**23.60**

गत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत कम (15.32 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

1.9 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

विभाग ने वर्ष 2010-11 के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की सभी सिफारिशें स्वीकार की तथा बताया कि भविष्य में उत्पाद शुल्क नीति तैयार करते समय इन पर विचार किया जाएगा। वर्ष 2015-16 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई 'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां' नामक निष्पादन लेखापरीक्षा पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी है।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 656 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2016-17 के दौरान 320 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 318 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 318 (राजस्व 278 + व्यय 40) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 37,331 मामलों में कुल ₹ 1,701.08 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 2,721 मामलों में आवेष्टित ₹ 666.76 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2016-17 के दौरान 185 मामलों में ₹ 1.49 करोड़ संगृहीत किए थे।

1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 750.20 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित **'घोषणा फार्मों के विरूद्ध छूट एवं रियायतें'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 622.77 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 0.23 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।